E-office-1284668

GOVERNMENT OF INDIA (BHARAT SARKAR)
MINISTRY OF RAILWAYS (RAIL MANTRALAYA)
(RAILWAY BOARD)

No. E(NG)II/2020/SB/5

New Delhi, Dated: 14.10.2022

The General Manager,
All Zonal Railways/Production Units
(As per standard mailing list)

17.10.22

Sub: Instructions on TADK - reg.

Ref: Board's letter of even no dated 01.12.2020 (RBE No. 102/2020).

Railway Board vide letter of even no. dated 01.12.2020 issued instructions on the above subject. Feedback has been received from field units that it has become very difficult to man the posts of TADK.

2. In view of above, following instructions are issued in continuation to Board's instructions ibid:

(i) Efforts should be made to man the posts of TADK as per extant policy guidelines.

(ii) In cases where it is not becoming possible to man the posts, an attendant in lieu of TADK may be provided by Zones through contracted manpower outsourcing agency subject to the cost ceiling of such attendant to not exceed bottom of L1 Pay Matrix + D.A. as on 30th September 2022.

3. General Managers can make further provisions to operationalize above arrangement in their Railways.

4. This issues with the approval of the competent Authority

O/C

Sudhir

(Sudhir Kumar)
Director Estt.(N)
Railway Board

NR by Hqrs. (Engg)-II Br.

Rail Bhawan, Raisina Road, New Delhi-110001

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)

सं. ई(एनजी)II/2020/एसबी/5 नई दिल्ली, दिनांक: 14.10.2022

महाप्रबंधक
सभी क्षेत्रीय रेलें/ उत्पादन इकाइयां,
(मानक डाक सूची के अनुसार)।

विषय: टीएडीके पदों के संबंध में अनुदेश।

संदर्भ: बोर्ड के दिनांक 01.12.2020 का समसंख्यक पत्र (आरबीई सं. 102/2020)

रेलवे बोर्ड द्वारा उपरोक्त विषय पर दिनांक 01.12.2020 के पत्र के तहत अनुदेश जारी किए गए थे। फील्ड इकाइयों से यह फीडबैक प्राप्त हुआ है कि टीएडीके के पदों पर तैनाती करना बहुत कठिन हो गया है।

2. उपर्युक्त को देखते हुए, बोर्ड के पूर्वोक्त अनुदेशों के क्रम में निम्नलिखित अनुदेश जारी किए जा रहे हैं:

(i) मौजूदा नीतिगत दिशा-निर्देशों के अनुसार टीएडीके के पदों पर तैनाती करने के लिए प्रयास किए जाएं।

(ii) ऐसे मामलों में जहां पदों पर तैनाती करना संभव नहीं हो पा रहा है, क्षेत्रीय रेलों द्वारा टीएडीके के स्थान पर एक अटेंडेट संविदाधारी जनशक्ति आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से उपलब्ध कराया जाए, बशर्ते कि ऐसे अटेंडेट की लागत सीमा वेतन मैट्रिक्स में लेवल-I के निम्नतम स्तर + 30 सितंबर 2022 में लागू मंहगाई भत्ते से कम हो।

3. महाप्रबंधकों द्वारा उनकी रेलों में उपर्युक्त व्यवस्था को संचालित करने के लिए अतिरिक्त प्रावधान किए जा सकते है।

4. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

(सुधीर कुमार)
निदेशक स्था.(अराजपत्रित)
रेलवे बोर्ड